Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Raghav Thakur Prop. M/s Aadhya Stone Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 67,500 MTPA from Khasra No. 2873, 2880/1, 2881/1 and 2882 over an area measuring 02-05-69 Hectares (Private Land, River Bed) falling in Mauza Mohal Ram Nagar, Tehsil Ghanari, Una (HP) held on 19/06/2026 at 11:30 AM near crusher site of M/s Aadhya Stine Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Raghav Thakur Prop. M/s Aadhya Stone Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 67,500 MTPA from Khasra No. 2873, 2880/1, 2881/1 and 2882 over an area measuring 02-05-69 Hectares (Private Land, River Bed) falling in Mauza Mohal Ram Nagar, Tehsil Ghanari, Una (HP, was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 19/06/2026 at 11:30 AM near crusher site of M/s Aadhya Stine Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sub Divisional Officer/Magistrate, Gagret, Distt Una (HP) cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Range Forest Officer, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Shivalik Solid Waste Management Limited, Zirakpur (Punjab) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Shamsher Singh, ex-Up-Pradhan, Gram Panchayat Upper	The speaker stated that Gram Panchayat Andora had already issued a No Objection Certificate (NOC) to the stone crusher project	

	Andora, District Una (HP)	of the proponent after following the prescribed procedure, including videography of the proceedings. He further stated that no objection had been raised by any resident of the village at that time. According to him, certain persons who have allegedly encroached upon Government land in the vicinity of the crusher site might raise irrelevant objections during the present public hearing. He also requested that all participants record their names before submitting their objections so that appropriate replies could be provided and duly recorded	
2.	Sh. Paramjeet Singh, Gram Panchayat Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker alleged that the proponent had obstructed the natural flow of a khad/nallah originating from the adjoining village by constructing a boundary wall around the proposed stone crusher site. As a result, rainwater was stated to be entering private lands, including the residence of Sh. Gurdyal, resident of Andora, who was also stated to be present during the public hearing. The speaker further submitted that two stone crushers are already operational within the Gram Panchayat Andora and the proposed unit would be the third such facility in the area; therefore, he suggested that restrictions should be imposed on the number of stone crushers permitted within the Gram Panchayat. He also raised concerns regarding alleged mining activities being carried out during night hours in the vicinity and stated that excessive mining operations could lead to drop/decline in the groundwater table of the area.	The proponent replied that a No Objection Certificate (NOC) had already been obtained from the Gram Panchayat Andora subject to the condition that any wastewater generated from the crushing operations would be managed scientifically by the unit and material at the concessional rate of 50% will be given to local residents after the commencement of crusher operations. He further stated that the objection pertains to rainwater flowing from adjoining areas towards the proposed crusher site. The proponent added that the boundary wall has been constructed within his private land for security purposes. He further stated that, if rainwater is entering any adjoining

			private property, the concerned landowners may also construct boundary walls on their respective lands for protection.
3.	Sh. Aarif, R/O Amb, Distt Una (HP)	The speaker stated that he has no objection to the proposed mining project. He further stated that the proponent has assured local residents that construction material will be made available to them at a concessional rate of 50 percent.	
4.	Sh. Satya Dev kajla, Gram Panchayat Upper Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker stated that all concerned persons belong to the same village and that the proponent is a good individual who has already assured local residents that construction material would be provided to them at a concessional rate of 50 percent. He further stated that the issue pertains to the disposal of rainwater and expressed the view that the matter should be resolved mutually without adversely affecting the interests of any party.	
5.	Sh. Praveen Kumar Gram Panchayat Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker requested that the issue relating to the disposal and drainage of rainwater accumulating in the adjoining areas be resolved by appropriate means. He further stated that the accumulation of rainwater adversely affects agricultural crops in the surrounding fields.	The Consultant replied that the issue of rainwater accumulation is dueto improper channelization of the khad/nallah and the accumulation of material within its course. She further stated that scientific and regulated mining is necessary to maintain the flow capacity of the khad/nallah and to prevent overflow of water during the monsoon season.
6.	Sh. Pankaj Singh, Gram Panchayat Andora, Tehsil	The speaker stated that there appeared to be some misunderstanding regarding the	The Chairman of the Public Hearing stated that the issue raised

	Amb, Distt Una (HP)	issue raised by the earlier participants. He clarified that they have no objection to the proposed mining lease project. However, he stated that rainwater previously passed through the land where the stone crusher is proposed to be established, and that following the construction of the boundary wall, rainwater has started accumulating in the adjoining land during monsoon period. He therefore requested that the matter relating to the drainage of rainwater be resolved through mutual consultation among the concerned parties.	regarding the drainage of rainwater during the monsoon season is not directly related to the proposed mining lease project for which the public hearing is being conducted. However, he assured the participants that the matter will be taken up with the Flood Protection Division of Jal Shakti Vibhag, Una, for exploring an appropriate resolution.

During the proceedings of the public hearing and even after the program, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Sh. Somil Gautam
Sub Divisional Magistrate
Gagret, Distt. Una (HP)

C/S

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

श्री राघव ठाकुर, प्रोपराइटर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर, गांव एवं डाकघर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा खसरा संख्या 2873, 2880/1, 2881/1 एवं 2882, मौजा मोहाल रामनगर, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) के कुल खनन क्षेत्र 02–05–69 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी तट) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 67,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 19.06.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री राघव ठाकुर, प्रोपराइटर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर, गांव एवं डाकघर अंडोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा खसरा संख्या 2873, 2880/1, 2881/1 एवं 2882, मौजा मोहाल रामनगर, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) के कुल खनन क्षेत्र 02–05–69 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी तट) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 67,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर के क्रशर स्थल के निकट, गांव एवं डाकघर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533(अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय उप मण्डल अधिकारी(नागरिक) एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई, गगरेट की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान खनन अधिकारी ऊना, वन परिक्षेत्राधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता तथा स्थानीय एवं निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट संलग्नक–1 के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जीरकपुर, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1.	श्री शमशेर सिंह, भूतपूर्व उप–प्रधान, ग्राम पंचायत अपर अंदोरा, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अंदोरा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाने के उपरान्त प्रस्तावित स्टोन क्रशर परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उस समय गांव के किसी भी निवासी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कुछ व्यक्ति, जो कि कथनानुसार क्रशर स्थल के निकट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं, इस जनसुनवाई के दौरान असंगत आपत्तियां उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने से पूर्व अपना नाम दर्ज करवाए ताकि उनका उचित उत्तर दिया जा सके।	
2.	श्री परमजीत सिंह, ग्राम पंचायत अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्टोन क्रशर स्थल के चारों ओर बनाई गई चारदीवारी के कारण निकटवर्ती गांव से आने वाले खड/नाले के प्राकृतिक बहाव में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वर्षा जल निकटवर्ती निजी भूमियों एवं श्री गुरदयाल के आवास में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत अंडोरा में पहले से दो स्टोन क्रशर संचालित हैं तथा यह तीसरी इकाई होगी, इसलिए ग्राम पंचायत में स्टोन क्रशरों की संख्या पर सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में रात्रि के समय हो रही खनन गतिविधियों तथा अत्यधिक खनन के कारण भूगर्भ जल स्तर में गिरावट की आशंका भी व्यक्त की।	प्रस्तावक ने उत्तर दिया कि ग्राम पंचायत अंदोरा से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा चुका है, जिसमें यह शर्त रखी गई है कि क्रशर से उत्पन्न जल का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा तथा क्रशर संचालन प्रारंभ होने के उपरान्त स्थानीय निवासियों को सामग्री 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

			उन्होंने कहा कि उठाया गया मुद्दा निकटवर्ती क्षेत्रों से प्रस्तावित क्रशर स्थल की ओर बहने वाले वर्षा जल से संबंधित है। चारदीवारी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपनी निजी भूमि के अंदर निर्माण करवाई है। यदि किसी निकटवर्ती भूमि में वर्षा जल प्रवेश करता है तो संबंधीत भूमि स्वामियों द्वारा भी अपनी भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनाई जा सकती है।
3.	श्री आरिफ, निवासी अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावक द्वारा स्थानीय निवासियों को निर्माण सामग्री 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।	
4.	श्री सत्य देव काजला, ग्राम पंचायत अपर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि सभी एक ही गांव से संबंधित हैं तथा प्रस्तावक एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावक द्वारा स्थानीय निवासियों को निर्माण सामग्री 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में मुद्दा वर्षा जल निकासी से संबंधित है तथा इसे सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए सहमति से हल किया जाना चाहिए।	
5.	श्री प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने निवेदन किया कि निकटी क्षेत्रों में एकत्रित होने वाले वर्षा जल के निकासी एवं प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल के जमा होने से निकटवर्ती खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।	परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि वर्षा जल के जमा होने का कारण नाले का उचित चैनलाईजेशन न होना तथा उसके मार्ग में सामग्री का जमा होना है। उन्होंने कहा कि खड/नाले की जल वहन क्षमता बनाए रखने तथा वर्षा ऋतु के दौरान जल भराव की स्थिति से बचाव के लिए वैज्ञानिक एवं विनियमित खनन आवश्यक है।
6	श्री पंकज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लोअर अंडोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि पूर्व प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये मुद्दे के संबंध में कुछ भ्रांती प्रतीत होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। तथापि पूर्व में वर्षा जल उस भूमि से होकर बहता था जहां प्रस्तावित स्टोन क्रशर स्थापित किया जाना है, किन्तु चारदीवारी निर्माण के उपरान्त वर्षा ऋतु के दौरान निकटवर्ती भूमि में जल जमा होने लगा है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि वर्षा जल निकासी से संबंधित मामले का सहमति से समाधान किया जाए।	माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान वर्षा जल निकासी से संबंधित उठाया गया मुद्दा प्रस्तावित खनन परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को जल शक्ति विभाग, ऊना के बाढ़ सुरक्षा प्रभाग के समक्ष उचित समाधान के लिए उठाया जाएगा।

इस पर्यावरणीय जनसुनवाई के दौरान तथा कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त भी कोई लिखित सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

सोमिल गौतम
उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
गगरेट, जिला ऊना (हि.प्र.)

2

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

Statements of the issues raised in the Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Raghav Thakur Prop. M/s Aadhya Stone Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 67,500 MTPA from Khasra No. 2873, 2880/1, 2881/1 and 2882 over an area measuring 02-05-69 Hectares (Private Land, River Bed) falling in Mauza Mohal Ram Nagar, Tehsil Ghanari, Una (HP) held on 19/06/2026 at 11:30 AM near crusher site of M/s Aadhya Stine Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Raghav Thakur Prop. M/s Aadhya Stone Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 67,500 MTPA from Khasra No. 2873, 2880/1, 2881/1 and 2882 over an area measuring 02-05-69 Hectares (Private Land, River Bed) falling in Mauza Mohal Ram Nagar, Tehsil Ghanari, Una (HP, was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 19/06/2026 at 11:30 AM near crusher site of M/s Aadhya Stine Crusher, VPO Andora, Tehsil Amb, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Sub Divisional Officer/Magistrate, Gagret, Distt Una (HP) cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Range Forest Officer, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Shivalik Solid Waste Management Limited, Zirakpur (Punjab) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the statements of the issues raised in the Environmental Public Hearing were recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted
1.	Sh. Shamsher Singh, ex-Up-Pradhan, Gram Panchayat Upper Andora, District Una (HP)	The speaker stated that Gram Panchayat Andora had already issued a No Objection Certificate (NOC) to the stone crusher project of the proponent after following the prescribed procedure, including videography of the proceedings. He further stated that no objection had

		been raised by any resident of the village at that time. According to him, certain persons who have allegedly encroached upon Government land in the vicinity of the crusher site might raise irrelevant objections during the present public hearing. He also requested that all participants record their names before submitting their objections so that appropriate replies could be provided and duly recorded
2.	Sh. Paramjeet Singh, Gram Panchayat Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker alleged that the proponent had obstructed the natural flow of a khad/nallah originating from the adjoining village by constructing a boundary wall around the proposed stone crusher site. As a result, rainwater was stated to be entering private lands, including the residence of Sh. Gurdyal, resident of Andora, who was also stated to be present during the public hearing. The speaker further submitted that two stone crushers are already operational within the Gram Panchayat Andora and the proposed unit would be the third such facility in the area; therefore, he suggested that restrictions should be imposed on the number of stone crushers permitted within the Gram Panchayat. He also raised concerns regarding alleged mining activities being carried out during night hours in the vicinity and stated that excessive mining operations could lead to drop/decline in the groundwater table of the area.
3.	Sh. Aarif, R/O Amb, Distt Una (HP)	The speaker stated that he has no objection to the proposed mining project. He further stated that the proponent has assured local residents that construction material will be made available to them at a concessional rate of 50 percent.
4.	Sh. Satya Dev kajla, Gram Panchayat Upper Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker stated that all concerned persons belong to the same village and that the proponent is a good individual who has already assured local residents that construction material would be provided to them at a concessional rate of 50 percent. He further stated that the issue pertains to the disposal of rainwater and expressed the view that the matter should be resolved mutually without adversely affecting the interests of any party.
5.	Sh. Praveen Kumar Gram Panchayat Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker requested that the issue relating to the disposal and drainage of rainwater accumulating in the adjoining areas be resolved by appropriate means. He further stated that the accumulation of rainwater adversely affects agricultural crops in the surrounding fields.

6.	Sh. Pankaj Singh, Pardhan Gram Panchayat Lower Andora, Tehsil Amb, Distt Una (HP)	The speaker stated that there appeared to be some misunderstanding regarding the issue raised by the earlier participants. He clarified that they have no objection to the proposed mining lease project. However, he stated that rainwater previously passed through the land where the stone crusher is proposed to be established, and that following the construction of the boundary wall, rainwater has started accumulating in the adjoining land during monsoon period. He therefore requested that the matter relating to the drainage of rainwater be resolved through mutual consultation among the concerned parties.

During the proceedings of the public hearing and even after the program, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Sh. Somil Gautam
Sub Divisional Magistrate
Gagret, Distt. Una (HP)

C/s

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)

श्री राघव ठाकुर, प्रोपराइटर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर, गांव एवं डाकघर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.) द्वारा खसरा संख्या 2873, 2880/1, 2881/1 एवं 2882, मौजा मोहाल रामनगर, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) के कुल खनन क्षेत्र 02–05–69 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी तट) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 67,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दो का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 19.06.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री राघव ठाकुर, प्रोपराइटर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर, गांव एवं डाकघर अंडोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा खसरा संख्या 2873, 2880/1, 2881/1 एवं 2882, मौजा मोहाल रामनगर, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि.प्र.) के कुल खनन क्षेत्र 02–05–69 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी तट) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 67,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर मैसर्स आध्या स्टोन क्रशर के क्रशर स्थल के निकट, गांव एवं डाकघर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533(अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय उप मण्डल अधिकारी(नागरिक) एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई, गगरेट की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान खनन अधिकारी ऊना, वन परिक्षेत्राधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता तथा स्थानीय एवं निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट संलग्नक–1 के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जीरकपुर, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव
1.	श्री शमशेर सिंह, भूतपूर्व उप–प्रधान, ग्राम पंचायत अपर अंदोरा, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अंदोरा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा कार्यवाही की वीडियोग्राफी करवाने के उपरान्त प्रस्तावित स्टोन क्रशर परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उस समय गांव के किसी भी निवासी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कुछ व्यक्ति, जो कि कथनानुसार क्रशर स्थल के निकट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए हुए हैं, इस जनसुनवाई के दौरान असंगत आपत्तियां उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने से पूर्व अपना नाम दर्ज करवाए ताकि उनका उचित उत्तर दिया जा सके।
2.	श्री परमजीत सिंह, ग्राम पंचायत अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्टोन क्रशर स्थल के चारों ओर बनाई गई चारदीवारी के कारण निकटवर्ती गांव से आने वाले खड/नाले के प्राकृतिक बहाव में बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वर्षा जल निकटवर्ती निजी भूमियों एवं श्री गुरदयाल के आवास में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत अंडोरा में पहले से दो स्टोन क्रशर संचालित हैं तथा यह तीसरी इकाई होगी, इसलिए ग्राम पंचायत में स्टोन क्रशरों की संख्या पर सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में रात्रि के समय हो रही खनन गतिविधियों तथा अत्यधिक खनन के कारण भूगर्भ जल स्तर में गिरावट की

		आशंका भी व्यक्त की।
3.	श्री आरिफ, निवासी अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावक द्वारा स्थानीय निवासियों को निर्माण सामग्री 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।
4.	श्री सत्य देव काजला, ग्राम पंचायत अपर अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि सभी एक ही गांव से संबंधित हैं तथा प्रस्तावक एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावक द्वारा स्थानीय निवासियों को निर्माण सामग्री 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में मुद्दा वर्षा जल निकासी से संबंधित है तथा इसे सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखते हुए सहमति से हल किया जाना चाहिए।
5.	श्री प्रवीण कुमार, ग्राम पंचायत अंदोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने निवेदन किया कि निकटी क्षेत्रों में एकत्रित होने वाले वर्षा जल के निकासी एवं प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल के जमा होने से निकटवर्ती खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
6	श्री पंकज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत लोअर अंडोरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि पूर्व प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये मुद्दे के संबंध में कुछ भ्रांती प्रतीत होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। तथापि पूर्व में वर्षा जल उस भूमि से होकर बहता था जहां प्रस्तावित स्टोन क्रशर स्थापित किया जाना है, किन्तु चारदीवारी निर्माण के उपरान्त वर्षा ऋतु के दौरान निकटवर्ती भूमि में जल जमा होने लगा है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि वर्षा जल निकासी से संबंधित मामले का सहमति से समाधान किया जाए।

इस पर्यावरणीय जनसुनवाई के दौरान तथा कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त भी कोई लिखित सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

सोमिल गौतम
उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
गगरेट, जिला ऊना (हि.प्र.)

Additional Deputy Commissioner
Una, District Una (H.P.)